

राजस्थान सरकार
समाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.३(२)(१)बजट/साम्याअधि/२०१४-१५/ ५८७७

जयपुर, दिनांक : २२.०७.१५

परिपत्र

२वीं हुति संख्या-०२

इस विभाग के समसंबद्ध आदेश क्रमांक ००० दिनांक २८.०३.१४ के ग्रन्थ में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं संचालित इकाइयों से संबंधित व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए (माह अगस्त, २०१४ से भार्द, २०१५) तक व्यय हेतु संलग्न सारणी/विवरण अनुसार समस्त अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों/क्रियान्वयन अधिकारियों को एतद्वारा आवंटित बजट की सीमा तक अधिकृत किया जाता है। बजट आई.एफ.एन.एस पर आन लाइन कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक किसी भी परिवर्तन में आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

शेष स्वीकृती एवं शर्तें यथावत रहेंगी

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ.३(२)(१)बजट/साम्याअधि/२०१४-१५/ ५८७८ -५९६०

जयपुर, दिनांक : २२.०७.१५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- १.अतिरिक्त निवेशक (प्रशासन)
- २.परियोजना निवेशक (एआई)पी.एफ एड ए.एम
- ३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, वीकानेर, कोटा, वांग, भरतपुर, भीलवाडा, घिरोड़गढ़, वांसवाडा, झंगरपुर, अलवर, वाडमेर, जालौर, जेरालमेर, दुन्दुब्बू, पाली, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, टोक, बूद्धी, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, द्वालावाड़, करोली, गांगोर, गजसंमन्द, धौलपुर,
- प्रतापगढ़।
- ४.उप निवेशक, पिछड़ी जाति।
- ५.उप निवेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, वीकानेर, कोटा, वांग, भरतपुर, भीलवाडा, घिरोड़गढ़,
- ६.साहायक निवेशक सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, वांसवाडा, झंगरपुर, अलवर, वाडमेर, जालौर, जेरालमेर, दुन्दुब्बू, पाली, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, टोक।
- ७.जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग बूद्धी, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, द्वालावाड़, करोली, गांगोर, गजसंमन्द, धौलपुर, प्रतापगढ़।
- ८.उप निवेशक, शिक्षा एवं जनावास।
- ९.अधीक्षक बृद्ध एवं अशक्त गृह, पुस्तक, अजगेर।
- १०.अधीक्षक, गारी लिकेटन, अजमेर, वीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
- ११.लेखाकार (अंक मिलाव/भुगतान)।
- १२.जब साम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय।
- १३.एवालिट कम प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेडा हैं जिस राज्य बजट आवंटन को विधायित समय पर ऑनलाइन कर मुख्य लोकाधिकारी को सूचित करें।
- १४.प्रशासन प्रभारी/गांड पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

गोपनीय सचिवा - ५।

संदर्भ ग्रन्थांक

2225 - अनुशासित जाति अनुभूमित जनसत्ति पर्याप्ति गणगो का बलान्

०१ - अनुशासित जातियों का कालान्

८३ - अनुशासित जातियों के लिए निश्चिह्न चालक गोकर्ण

(१०) - दूसरी जातियों का अधिकार अवशीष्ट विभाग

[००] - दूसरी जातियों का अधिकार अवशीष्ट विभाग

(प्रायोजन विषय वार्ता)

(आवास, २०१४ से गार्ड, २०१५)

(प्राप्ति राशि वि.)

अ.ना.	आवास पर्याप्ति विभाग अधिकारी	संदर्भांग गणना	प्रायोजन वार्ता	कार्यालय	वाट्टों का	प्रियंका और	निरामा, शेष-	निरामा	वर्त्तेः	देखन	प्रदूषण	संविदा	प्राप्ति
				वार्ता	संवादन एवं	प्रियंका	जाति	वर्त्तेः	वार्ता	सामग्री वाय	वाय	प्राप्ति	
१	लक्ष्मी शीर्षक	०१	२	०३	०४	०५	०७	०८	०९	२८	३७	३८	४१
१		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१६
१	अंग्रेज निदेशक (एसी)	४१७		-	०.७५	०.७५	०.६०	०.६०	०.६०	०.००	०.०४	०.०५	०.०५
१					२६.००	०.०५	०.२५	०.३५	०.६०	०.०१	०.०१	०.०१	०.०१
												०.७१	२३.०६

वित्तीय संसाधकार

86 - 1621

2225 - असाधारण विद्युतीय जलविद्युतीय विनियोग

- अन्यथा वह बनाना चाहते हैं कि क्रमागत
- १५ -

(02) - उपयोजना दोष के भाव
[02] - कार्यक्रम एवं निपटिक्रिया

2020-21 學年 第一學期
中大學生報

जैसे जिस वर्ष किया जातेगा।

वित्तीय राजाध्यकार

二三二

1

लाता लोहा और लैटे = 10

卷之三

105 - विला चारीपटो / विला बड़ीन बहादरों को जाहाज
(अ) = विला चारीपटो बड़ीन

卷之三 [66]

गोंग चौल्या - ३३

2225 - अनुसन्धित जाति अनुसन्धित जनजाति एवं अन्य पिछडे दर्गा का कल्याण

६१ - अनुसन्धित जातियों का कल्याण

१९६ - जिता परिषदों/जिता सतीय पंचायतों को चालाया

(१६) - नवाचितात्मक स्तर के अन्वेषण चालाना

[००] -

(आयोजना भिन्न वर्ग)

(अवस्था, २०१४ से मार्च, २०१५)

(रुपि लखों में)

क्रमांक एवं वितरण अधिकारी संचालन गठन	यात्रा वर्ग विभिन्न व्याय	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संवारण	कार्यालय वाहनों का वितरण ग्रौवर विशेष सेट, कार् सेप्यलटी सेवाएँ																
			लंबा शीर्षक	०१	०२	०३	०४	०५	०७	०९	०९	२८	३१	३८	३९	४१	६१	१५	१६
१ या निरसन अधिकारी १०८५९	१.००	-	०.००	०.००	०.६३	-	-	-	-	०.०४	०.०४	-	-	२.००	८.५७	१२.१५			
२ या निरसन भौमानेत्र १२५८०	१.३०	-	०.००	०.००	०.८५	-	-	-	-	०.३०	०.११	-	-	४.००	८.६१	१३.१			
३ या निरसन वरपार १२६३२	०.००	-	०.००	०.००	०.००	-	-	-	-	०.०४	०.००	-	-	०.००	२.००	२.०४			
४ या निरसन वरपार १०८५६	१.५०	-	०.००	०.००	१.६०	-	-	-	-	०.१४	०.१६	-	-	२.५०	११.००	१७.००			
५ या निरसन वरपार ७१७१	०.००	-	०.००	०.००	१.६०	-	-	-	-	०.१०	०.०९	-	-	२.००	८.५५	१२.१			
योग	३.९०	०.००	०.००	०.००	४.६५	०.००	०.००	०.००	०.६२	०.३९	०.००	०.००	१०.५०	३८.५४	५८.६०				

वित्तीय सलाहकार

गीत गंडाजा - 33

225 - अनुसूचित जाति अनुरक्षित जनजाति एवं अन्य पिछड़े गों का कल्याण

०२ - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों

(०६) - महाविधालय राष्ट्र के छात्रवाच सचालन [००] -

(आयोजना निलंबन यथा)																	
क्र.सं	अधिकारी एवं वितरण		संतोषन	मध्यदृष्टि	याचा याप	विवेकासा याप	कार्यालय याप	कार्यालय याहांतो का संपादन एवं संघरण	कार्यालय याहांतो का ओर विभिन्न सेवायें	कार्यालय याहांतो का ओर विभिन्न सेवायें		कार्यालय याहांतो का ओर विभिन्न सेवायें					
	लाभु शीर्षक	01	02	03	04	-	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 प्रा. निवेदन जगद्गुरु 10856	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	1.09	11.00	24.70	
2 प्रा. निवेदन गोदा 10855	2.00	0.00	0.02	0.02	0.30	-	-	-	0.40	0.08	-	-	-	1.10	9.00	17.50	
3 प्रा. निवेदन घटवार 12057	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	-	-	-	0.30	0.00	-	-	-	2.00	7.47	13.77	
शेष	3.50	0.00	0.02	0.02	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4.10	27.47	38.23	

वित्तीय
सलाहकार

12

आयोजना भिन्न मद
(अगस्त, 2014 से गार्व, 2015)

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान हेतु बजट आवंटन

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आहरण एवं पितरण अधिकारी	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 0 रागाज कल्याण 196 – जिला परिषदों/जिला रत्तरीय पंचायतों को सहायता 18 वृद्ध कल्याण [01] दे-केयरसेन्टरस्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता 12 सहायतार्थ अनुदान, (आयोजना भिन्न)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 रागाज कल्याण 196 – जिला परिषदों/जिला रत्तरीय पंचायतों को सहायता 18 वृद्ध कल्याण [02] दे-केयर सेन्टर-स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता 12 सहायतार्थ अनुदान, (आयोजना भिन्न)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाजकल्याण 196-जिलापरिषदों/जिलास्तरीयपंचायतोकोसहा य15गिराकल्याण [01]वृद्धर्वनिर्भलों के कल्याण हेतु स्वैच्छिकसंगठनोंहेतु सहायता 12सहायतार्थ अनुदान, (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5
1	उप निदेशक, जयपुर 10856	11.50	-	-
2	उप निदेशक, जोधपुर	1.55	-	-
3	उप निदेशक, उदयपुर 12097	5.16	0.91	-
4	उप निदेशक, अजमेर 10849	0.00	-	-
5	उप निदेशक, कोटा 10685	0.00	-	3.17
6	उप निदेशक, बीकानेर	5.60	-	-
7	उप निदेशक, वारा 5037	4.20	-	-
8	उप निदेशक, मरतापुर 12632	3.00	-	-
9	उप निदेशक, गोलवाडा 23948	0.00	-	-
10	उप निदेशक, विलोड़गढ़ 23949	0.00	-	-
11	सहायक निदेशक, अलवर	0.00	-	-
12	सहायक निदेशक, बाढ़मेर	0.00	-	-
13	सहायक निदेशक, जालौर	0.00	-	-
14	सहायक निदेशक, बांसवाडा 23944	0.00	-	-
15	सहायक निदेशक, दूगरपुर 23951	0.00	-	-
16	सहायक निदेशक, झुन्झान 2278	0.00	-	-
17	सहायक निदेशक, सीकर 11513	0.00	-	-
18	सहायक निदेशक, पाली 13260	0.00	-	-
19	सहायक निदेशक, सिरोही 12203	0.00	-	-
20	सहायक निदेशक, स० माधोपुर 3325	0.00	-	-
21	सहायक निदेशक, टोक 5930	0.00	-	-
22	सहायक निदेशक, जैसलमेर 2503	0.00	-	-
23	सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर	0.00	-	-
24	जि.प. एवं स.क.अधि. बून्ही 23731	0.00	-	-
25	जि.प. एवं स.क.अधि. चुरू	0.00	-	-
26	जि.प. एवं स.क.अधि. दौसा 6478	0.43	-	-
27	जि.प. एवं स.क.अधि. नायौर 9986	0.00	-	-
28	जि.प. एवं स.क.अधि. राजसमन्द 8835	0.00	-	-
29	जि.प.एवं स.क.अ. उनुमानगढ़	0.00	-	-
30	जि.प.एवं स.क.अ. जालवाड़	0.00	-	-
31	जि.प.एवं स.क.अ. करोती	0.00	-	-
32	जि.प.एवं स.क.अ. धौलपुर	0.00	-	-
33	जि.प.एवं स.क.अ. प्रतापगढ़	0.00	-	-
34	गुरुज्ञ परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यावास)	0.00	-	-
	योग	31.44	0.91	3.17

81
वित्तीय सलाहकार

आयोजना भिन्न गद
(अगरता, 2014 से मार्च, 2015)
अनुदानित छात्रावासों को सहायतार्थ अनुदान

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	2225-01-196-(04)-[02] जनुसूचित जाति के अनुदानित छात्रावासों को सहायता 12 सहायतार्थ अनुदान	2225-02-196-(05)-[00] अनुदानित छात्रावासों का रांघारण 12 सहायतार्थ अनुदान	2225-02-198 (03) समाज कल्याण विभाग के माध्यम से (03) उपयोजना क्षेत्र के अनुदानित छात्रावासों को सहायता -[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां 12 सहायतार्थ अनुदान	2225-03-196 -(01)-[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां 12 सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक, जयपुर 10856	-	-	-	-
2	उप निदेशक, जयपुर (ग्रामीण) 2513	10.38	-	-	-
3	उप निदेशक, जोधपुर 7171	1.65	4.31	-	-
4	उप निदेशक, उदयपुर 12097	21.60	27.59	30.75	-
5	उप निदेशक, अजमेर 10849	7.47	0.16	-	-
6	उप निदेशक, कोटा 10685	0.00	-	-	-
7	उप निदेशक, बीकानेर 12580	7.61	-	-	-
8	उप निदेशक, बांस 5037	-	25.93	-	-
9	उप निदेशक, भरतपुर 12632	0.00	-	-	-
10	उप निदेशक, गीलवाड़ा 23948	0.00	6.00	-	-
11	उप निदेशक, चित्तोड़गढ़ 23949	4.16	0.16	-	-
12	सहायक निदेशक, बांसवाड़ा 23944	-	0.00	2.00	-
13	सहायक निदेशक, डूंगरपुर 23951	-	0.00	2.00	-
14	सहायक निदेशक, झुन्झनू 2278	0.00	-	-	-
15	सहायक निदेशक, रीकर 11513	0.00	-	-	-
16	सहायक निदेशक, पाली 13260	-	0.00	-	-
17	सहायक निदेशक, सिरोही 12203	-	1.81	-	-
18	सहायक निदेशक, स० माधोपुर 3325	-	5.97	-	7.60
19	सहायक निदेशक, टोक 5930	8.47	12.47	-	-
20	सहायक निदेशक, जैसलमेर 2503	0.00	-	-	-
21	सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर 6055	0.00	-	-	-
22	जि.प. एवं स.क.अधि. बून्दी 23731	4.16	0.16	-	-
23	जि.प. एवं स.क.अधि. चुल 14964	0.00	-	-	-
24	जि.प. एवं स.क.अधि. दौसा 6478	12.28	21.27	-	-
25	जि.प. एवं स.क.अधि. नागौर 9986	0.00	-	-	-
26	जि.प. एवं स.क.अधि. राजसमन्द 883	-	-	-	-
27	जि.प.एवं स.क.अ. हनुमानगढ़ 17262	0.00	-	2.00	-
28	जि.प.एवं स.क.अ. प्रतापगढ़ 18517	0.00	2.17	2.00	-
	योग	77.78	108.00	38.75	7.60

नोट— उक्त बजट आवंटन में ग्रामीण क्षेत्र में सचालित अनुदानित छात्रावास समिलित हैं।

81
वित्तीय सलाहकार

विभिन्न क्रियान्वयन अधिकारियों को निम्नानुसार आयोजना भिन्न व्यय मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 (अगस्त, 2014 से मार्च 2015) के लिए निम्नानुसार अनुदान बजट आवंटन किया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं करे।

(राशि लाखों में)

लेखा मद	वित्तीय वर्ष 2014-2015	राशि	क्रियान्वयन अधिकारी का नाम
2225 -	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01 -	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
001 -	निदेशन एवं प्रशासन		
(00) -	-		
[00] -	-		
11 -	विज्ञापन विक्रय एवं प्रचार	0.30	अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)
2225 -	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01 -	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
196 -	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(02) -	छात्रावासों का संधारण		
[02] -	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08 -	वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशेष कोचिंग)	30.00	अति निदेशक (छात्रावास)
28 -	अन्य व्यय	30.00	"
31 -	बुक एवं फीस	0.90	"
2225 -	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01 -	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
196 -	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(03) -	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों को छात्रवृति कम छात्रावास		
[02] -	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08 -	वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशिष्ट कोचिंग)	0.66	उप निदेशक (छात्रावास)
28 -	अन्य व्यय	14.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31 -	बुक एवं फीस	0.36	उप निदेशक (छात्रावास)

वित्तीय सलाहकार

2225	-	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
02	-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(01)	-	छात्रावासों का संधारण		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	1.54	उप निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	14.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31	-	पुस्तक एवं फीस	0.13	उप निदेशक (छात्रावास)
2225	-	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
03	-	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(01)	-	छात्रावासों का संधारण		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	0.30	उप निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	5.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31	-	पुस्तक एवं फीस	0.10	उप निदेशक (छात्रावास)



वित्तीय सलाहकार

2225 . - अनु जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 . - अनुसूचित जातियों का कल्याण

196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता

(07) - आवासीय विद्यालयों का संचालन

[00] -

परियोजना निदेशक (पी.एफ.
ए.एण्ड एम.)

01	संवेतन	614.00	03	यात्रा व्यय	1.78
04	चिकित्सा व्यय	1.70	05	कार्यालय	1.47
28	विविध व्यय	17.00	36	वाहनों का किराया	1.90
58	कपड़े-बिस्तर	7.10	33	प्रयोगशाला व्यय	1.97
61	खाद्य सामग्री	500.00	31	पुस्तकालय व पत्र पत्रिकाएं	1.54
37	वर्दियां	0.24	57	विशेष सेवाएं	0.84

2235 . - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 . - समाज कल्याण

196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता

(19) - अन्य कार्यक्रम

[02] - भिक्षावृती में लिप्त परिवार के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन

परियोजना निदेशक
(पी.एफ.ए.एण्ड एम.)

01	संवेतन	18.00	03	यात्रा व्यय	0.30
04	चिकित्सा व्यय	0.20	05	कार्यालय	8.00
28	विविध व्यय	2.60			
41	संविदा सेवाएं	0.00			
61	खाद्य सामग्री	16.00			


812

वित्तीय सलाहकार

- 2235 . - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 02 . - समाज कल्याण
 196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता
 (19) - अन्य कार्यक्रम
 [03] - पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन

परियोजना निदेशक
 (पी.एफ.ए. एण्ड एम.)

01	संवेतन	22.00	03	यात्रा व्यय	0.10
04	चिकित्सा व्यय	0.10	05	कार्यालय व्यय	8.00
28	विविध व्यय	2.60			
41	संविदा सेवायें	0.00			
61	खाद्य सामग्री	30.00			

- 2059 . लोक निर्माण कार्य 100.00 अति. निदेशक छात्रावास
 80 . सामान्य
 053 . रख रखाव तथा मरम्मत
 (22) समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 [00]-
 21 . अनुरक्षण एवं मरम्मतें
 2235 . सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 02 . समाज कल्याण
 196 . जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता
 (17) महिला कल्याण
 [03] महिलाओं व बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा हेतु
 सहायता
 12 . सहायतार्थ अनुदान 3.50 मुख्य परिवेश अधिकारी


2235 .	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
02 .	समाज कल्याण		
196.	जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता		
(03)-	विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु सहायता		
[02]	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
12 .	सहायतार्थ अनुदान	32.00	मुख्य परिवेक्षा अधिकारी
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
02 .	समाज कल्याण		
196.	जिला परिषदों /जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता		
(04)-	उपयोजना क्षेत्र में विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु सहायता		
[02]	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
12 .	सहायतार्थ अनुदान	0.60	मुख्य परिवेक्षा अधिकारी
2225	अनु. जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण		
03 .	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
190 .	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को सहायता		
(02) .	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम		
12 .	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	37.00	परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.)
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	24.00	
2225	अनु. जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण		
80 .	सामान्य		
190 .	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपकरणों को सहायता		
(01) .	राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड हेतु सहायता		
12 .	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	5.50	उप निदेशक (पिछड़ी जाति)
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	6.00	
2225 .	अनु.जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण		
02 .	समाज कल्याण		
196.	जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता		
(02) -	उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों का संधारण		
[02] -	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	0.80	अति. निदेशक (छात्रावास)
28 -	अन्य व्यय	7.00	अति. निदेशक (छात्रावास)
31 -	पुस्तक एवं फीस	0.01	अति. निदेशक (छात्रावास)

81
वित्तीय सलाहकार

2225	अनु जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(23)	अनुसूचित जाति कल्याण आयोग			
[00]	अनुसूचित जाति कल्याण आयोग			
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	7.00	उपनिदेशक पिछड़ी जाति	
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	24.00		
2225	अनु जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
03	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01)	राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग			
[00]	राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग			
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	22.40	उपनिदेशक पिछड़ी जाति	
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	49.16		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196.	जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता			
(01)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01]	बृद्धावस्था पेशन			
24	पेशन और उपदान	160000.00	प्रभारी पेशन	
[02]	अंगहीन और दृष्टिहीन निराश्रितों को पेशन			
24	पेशन और उपदान	13334.00	प्रभारी पेशन	
[03]	विधवा/परित्यक्ता पेशन			
24	पेशन और उपदान	26667.00	प्रभारी पेशन	
[04]	देवस्थान विभाग के धमार्थ प्रयोजन के लिए जरूरत मंद व्यक्तियों को पेशन			
24	पेशन और उपदान	0.70	प्रभारी पेशन	

81
वित्तीय सलाहकार